वित्त समिति की दिनांक 29.05.2010 को आयोजित IV बैठक के कार्यवृत्त

विषय सूची

समूह I – स्वीकार्यता अपेक्षित मदें

मद संख्या	मद	पृष्ट संदर्भ
एफ सी:04:01	अध्यक्ष द्वारा सदन में शांति व्यवस्था का आहवान	4
एफ सी:04:02	निधन सूचना संदर्भ	4
एफ सी:04:03	उपकुलपति की टिप्पणियां	5
एफ सी:04:04	वित्त समिति की दिनांक 09.11.2009 को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	5
एफ सी:04:05	वित्त समिति की दिनांक 9.11.2009 को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट	5
एफ सी:04:06	वर्ष 2009-10 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार	5
एफ सी:04:07	वार्षिक लेखाएं, वर्ष 2009-10 पर विचार	6
एफ सी: 04:08	वर्ष 2009-10 हेतु बजट बनाम वास्तविक आंकड़ा पर विचार	7
एफ सी:04:09	निजी क्षेत्र बैंकों के साथ लेखओं का प्रचालन	7
एफ सी: 04:10	अव्ययित शेष की स्थिति	8

समूह II – संपुष्टि अपेक्षित मदें

मद सं0	मद	पृष्ट संदर्भ
एफ सी:04:11	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्मिकों की नियुक्ति एवं वेतन का संशोधन	9

समूह III – सूचनार्थ रिपोर्टित मदें

मद सं0	मद	पृष्ट संदर्भ
एफ सी:04:12	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	10

1.1 सिक्किम विश्वविद्यालय की प्रथम वित्त समिति की चौथी बैठक दिनांक 29.05.2010 को 1000बजे मरीना होटल, बागडोगरा (सिलीगुड़ी) में आयोजित की गई ।

1.2. निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे

नाम एवं पदनाम		
1.	प्रो. महेन्द्र पी.लामा, उप कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	अध्यक्ष
2.	श्री आर डी सहाय, निदेशक (सी यू) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
3.	डा0 (श्रीमति) रेणु बत्रा, संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली	
4.	श्री अर्जुन स्यांग्देन पूर्व प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक,	सदस्य
5.	श्री बिधान दत्ता अपर निदेशक, वित्त, राजस्व एवं व्यय विभाग सिक्किम सरकार (प्रधान सचिव, वित्त राजस्व एवं व्यय विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए)	सदस्य
6.	श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	सचिव

1.3 कार्यालय अयनिवार्यता के कारण निम्नलिखित सदस्य बैठक में भाग नहीं ले सके:

1.	श्री नवीन सोई निदेशक (वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
2.	श्री एम.पी. बेजबरूआ, अवैतनिक निदेशक, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, नई दिल्ली - 110016	सदस्य

1.4 अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि श्री आर डी सहाय, श्री अमित खरे संयुक्त सचिव (आई सी सीद्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इस बैठक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचना दी की अन्य दो सदस्य भी अपने कार्यालय अनिवार्यता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके , उनके लिए अनुपस्थिति हेतु छुट्टी अनूदित थी। तत्पश्चात अध्यक्ष द्वारा दिनांक 9.11.2009 को आयोजित वित्त समिति की गत बैठक के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में की गई प्रगति की विशिष्टता के संबंध में समिति को संक्षिप्त जानकारी दी गई । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को विश्वविद्यालय के प्रति उनके सतत समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया जिनके बिना इतनी प्रगति हासिल नहीं की जा सकती थी । अध्यक्ष ने समिति सदस्यों को इस वृद्धिशील नए विश्वविद्यालय के प्रभावकारी वित्तीय प्रबंधन हेतु उनके नवोन्मेष सुझाव एवं सतत समर्थन का आह्वान किया।

1.5 अपनी आरंभिक अभियुक्तियों में समिति सदस्यों ने कहा कि समिति को रिपोर्ट की गई मानव संसाधन के मामले में समिति ने सुझाव दिया कि इस विश्वविद्यालय को शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों के बीच 1:1 का अनुपात कायम रखने का प्रयास किया जाए । इसी प्रकार स्टाफ कार ड्राइवर के नीचे के कैडरों द्वारा संपादित कार्य के मामले में विश्वविद्यालय छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा निरूपित पूर्ण रुपेन आउटसोर्सिंग का आश्रय ले सकता है।

1.6 तत्पश्चात कार्य सूची मदों पर विचार-विमर्श के साथ बैठक आरंभ हुई :

समूह I – स्वीकार्यता अपेक्षित मदें

एफ सी: **04:01**	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में शांति व्यवस्था का आह्वान

कार्यवृत्त

4.1.1 अध्यक्ष ने सदन में शांति व्यवस्था कायम करने का आह्वान किया ।

एफ सी: **04:02**	निधन सूचना संदर्भ

कार्यसूची टिप्पणी:

4.2.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निधन सूची गहरे शोक भाव के साथ सदन के समक्ष लाई गई।

1. श्री भैरो सिंह शेखावत, भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति
2. श्रीमती बी पी सिंह, सिक्किम सरकार के माननीय राज्यपाल की धर्मपत्नि एवं सिक्किम विश्वविद्यालय का मुख्य रेक्टर
3. श्रीमती राका गुरूंग, ताशी नामग्याल अकादमी का पूर्व शिक्षक, सिक्किम महिला परिषद की संस्थापक सदस्या एवं सिक्किम के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बी बी गुरूंग की धर्मपत्नि
4. श्रीमती गुर्री मधुसून सिंह इंचे स्कूल के पूर्व शिक्षक, सिक्किम महिला परिषद की संस्थापक सदस्या एवं स्व0 मधुसूदन सिंह निदेशक(शिक्षा) की धर्मपत्नि।
5. श्री पी ओ पाजो, पूर्व सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
6. श्री मदन तामंग, अखिल भारतीय गोरखा ली, दार्जीलिंग का अध्यक्ष।
7. श्री बदरी नारायण प्रधान, शिक्षाविद् सामाजिक कार्यकर्ता एवं सिक्किम के पूर्व राज्यसभा एम पी

4.2.2 सदन ने गहरे शोक के साथ रिपोर्टित व्यक्तित्व की निधन सूचना को नोट किया तथा मृतात्माओं के सम्मान मे दो मिनट का मौन धारण किया ।

एफ सी: 04:03	उपकुलपति की टिप्पणियां

कार्यवृत्त

4.03.1 उपकुलपति ने वित्त समिति की दिनांक 09.11.2009 को आयोजित गत बैठक से विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों पर अपनी टिप्पणी की ।

4.03.2 विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज प्रगति की प्रशंसा करते हुए श्री आर डी सहाय ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय स्कूलों की स्थापना पर सांविधि एवं शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद की चल रही बैठक में स्कूलों के विभागों के आवंटन पर अध्यादेश ला सकता है, ताकि स्वीकृत पदों पर भर्ती शीघ्र की जा सकेगी । अध्यक्ष में सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव से सहमति जताई।

एफ सी: 04:04	वित्त समिति की गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

4.4.1 दिनांक 09.11.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गई ।

एफ सी: 04:05	वित्त समिति की गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

4.5.1 सदन में दिनांक 9.11.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा की गई । सदन की राय थी कि विश्वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वर्ष 2008-09 हेतु वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं के अर्पित किए जाने की सटीक तारीख सुनिश्चित कर सकता है जो कि वर्ष 2009-2010 हेतु वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के समय महालेखा परीक्षक द्वारा वांछित होगी।

4.5.2 छात्रों को वित्तीय सहायता के अध्यादेश पर एटीआर की कार्यसूची मध्य संख्या एफ सी: 3:10 के संबंध में सदन ने निर्देश दिया कि इसका पुनः मसौदा बनाकर वित्त समिति के माध्यम से बढ़ाया जाएगा । इसी प्रकार महाविद्यालय से संबंद्धन शुल्क प्रभारित करने के अध्यादेश पर मध्य संख्या एफ सी: 3:12 के मामले में सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा इस अध्यादेश के तैयार करने के लिए जारी मार्गदर्शनों की सहायता ले सकता है। उपरोक्त अभियुक्तियों के साथ सदन ने किसके समक्ष प्रस्तुत की गई कार्यवाही रिपोर्ट की पुष्टि की ।

एफ सी: 04:06	वर्ष 2009-10 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार

कार्यवृत्त

4.6.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विस्तृत विचार विमर्श किया । यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अंतरिक्ष लेखा परीक्षा अधिकारी के एक पद की स्वीकृति का अनुरोध कर सकता है; ताकि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। यह भी सुझाव दिया गया कि वर्ष 2010 -11 हेतु विश्वविद्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम से आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म को नामित करने के लिए संपर्क कर सकता है । सदन ने निर्देश दिया कि आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किए गए सभी अनुशंसाओं /सुझावों का विश्वविद्यालय में अनुपालन चरणबद्ध तरीके से किया जाए।

4.6.2 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत आंतरिक लेखा परीक्षा रि0 को नोट किया।

एफ सी: **04:07**	वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक लेखाओं पर विचार

कार्यवृत्त

4.7.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक लेखाओं पर विचार किया । लेखाओं पर टिप्पणियां (अनुसूची 14) में सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त युथ होस्टल भवन हेतु भुगतान योग्य किराया राशि में विवाद पर किए गए प्रकटीकरण के मामले में, सिक्किम सरकार से सदस्य ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय इस मुद्दे पर शीघ्र निपटारे का अनुरोध करते हुए एक विस्तृत पत्र भवन एवं हाउसिंग विभाग को भेज सकता है । विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में भवन किराए पर लेने के मामले में सदन में सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को केंद्रीय लोक कार्य विभाग से एक उचित किराया प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं इसका अनुसरण करें । यह भी कहा गया कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित उचित किराया एवं बाजार दर के बीच मात्र 10% की सीमा तक ही विचलन हो सकता है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा व्यवहार में लाए जा रहे हैं वह उचित किराया निर्धारण वर्तमान में किराए पर लिए गए भवनों के लीज नवीकरण मामले में भी किया जाए । इस विषय पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्धहै।

4.7.2 समिति ने नोट किया की रेखाओं में रुपया 23 लाख की एकमुश्त राशि का प्रावधान मानदेय शीर्ष के अंतर्गत शिक्षण कर्मचारियों के प्रति भुगतानों की पूर्ति हेतु किया गया है । समिति ने इस प्रावधान की सत्यता का परीक्षण विस्तारपूर्वक किया एवं नोट किया कि यह शिक्षण कार्मिकों को संविदा के विभिन्न विभिन्न अवधियों के लिए भुगतान योग्य पिछले अवधि के प्रतिलाभों से संबंधित है। समिति ने सुझाव दिया कि राशि को मानदेय की अपेक्षा वेतन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है । अध्यक्ष ने विज्ञापन की अंतर्वस्तु को स्पष्ट किया जहां कि भर्ती के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि चयनित प्रतिभागियों को यूजीसी वेतनमान में सहायक प्रोफ़ेसर के समतुल्य समेकित प्रतिलाभों का भुगतान किया जाएगा । चूंकी शिक्षण कार्मिकों के वेतन के संशोधन पर आदेश भर्ती के समय पारित नहीं हुआ था, कर्मचारियों को इसके

90% का भुगतान इस समझदारी पर किया गया की शेष राशि का भुगतान तब किया जाएगा, जब यू जी सी द्वारा इस विषय पर अंतिम आदेश पारित किया जाता है । तदनुसार शिक्षण कार्मिक प्रतिलाभों के सौ प्रतिशत के लिए अधिकृत है । समिति ने सुझाव दिया राशि की निकासी संविदा के प्रत्येक अवधि का विधिवत उल्लेख करते हुए किया जा सकता है तथा संलग्न राशि के लिए स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रत्येक ऐसी राशि समाप्त अनुबंधों के लिए प्रतिलाभों के बकाया से संबंधित है ।

4.7.3 उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ सदन ने वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक लेखाओं पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए सहमति व्यक्त की ।

एफ सी: **04:08**	वर्ष 2009-10 हेतु बजट बनाम वास्तविक आंकड़ों पर विचार

कार्यवृत्त

4.8.1 समिति ने वर्ष 2009-10 हेतु बजट बनाम वास्तविक आंकड़े के विवरण पर विचार किया एवं नोट किया कि वृहत बचत मुख्यता बजट के पूंजी खंड में वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के प्रति भूमि की अनुपलब्धता के कारण है ।

4.8.2 समिति ने इस कार्यकारी परिषद को रिपोर्ट किए जाने के लिए सहमति दी ।

एफ सी: **04:09**	निजी क्षेत्रों के साथ लेखाओं का प्रचालन

कार्यवृत्त

4.9.1 समिति ने कार्य सूची मद एवं भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों पर विचार किया। अध्यक्ष ने बतलाया कि विश्वविद्यालय में एक्सिस बैंक का आश्रय अपने कोर बैंकिंग प्रचालनों के लिए इसलिए लिया था कि बैंक घर पहुंचकर सेवाएं उपलब्ध करता है । अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रेषित दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए सदन ने टिप्पणी कि , तथापि विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि यह इन मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अनुदेशों का अनुसरण करें ।

4.9.2 अतः सदन द्वारा यह अनुशंसा की गई की विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से एक्सिस बैंक के साथ अपने प्रचालनों को बंद करें । यह कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी बैंकिंग परिचालन केनरा बैंक के साथ करता है तथा गंगटोक में केनरा बैंक की सेवाएं विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियमित लेनदेन के लिए ले सकता है । सदन में दिनांक 31 जून 2010 तक की स्थिति अनुसार अबे यह देश को नोट किया इसमें टिप्पणी भी की थी प्लान में किए गए आवंटन का प्लान अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण रुपेन उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय सिक्किम सरकार से यांग यांग में भूमि अधिग्रहण करने के लिए भरपूर प्रयास करें

एफ सी: **04:10**	अव्ययित शेष की स्थिति

कार्यवृत्त

4.10.1 सदन ने दिनांक 31.03.2010 तक की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष को नोट किया। इसने टिप्पणी भी की कि XI प्लान में किए गए आवंटन का प्लान अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्णरूपेण उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय सिक्किम सरकार से यांग्यांग में भूमि अधिग्रहण करने के लिए भरपूर प्रयास करे ।

समूह II- संपुष्टि अपेक्षित मदें

एफ सी: **04:11**	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्मिकों की नियुक्ति एवं वेतन संशोधन

कार्यवृत्त

4.11.1 कार्यकारी परिषद द्वारा इनके दिनांक 22. 11. 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित वेतन में वृद्धि कार्यसूची मद संख्या 4:11:11 के संबंध में समिति की राय थी कि ऐसे सभी मामलों में इस पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार करने के पूर्व इसे वित्त समिति के माध्यम से चलाया जाना चाहिए ।

4.11.2 वित्त समिति की गत बैठक के बाद की गई नई नियुक्तियों पर कार्य सूची मद के संबंध में सदन की राय थी कि भविष्य में किसी व्यक्तिगत मामले की रिपोर्टिंग नहीं की जाए, क्योंकि संपूर्ण लेखांकन वर्ष हेतु वेतन का बजट वित्त समिति द्वारा पूर्व में ही पारित किया जा चुका है तथापि, सदन की राय थी की वेतन में संशोधन करते समय इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे संशोधनों का वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुसरण करते हुए किया जाए ।

4.11.3 उपरोक्त आपत्तियों के साथ समिति ने कार्यकारी परिषद की संपुष्टि हेतु कार्यसूची मद पर सहमति दिया ।

<u>सूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें</u>

एफ सी: **04:12**	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

समिति द्वारा निम्निखित आपत्तियां भी व्यक्त की गई :

1. विश्वविद्यालय द्वारा की गई सभी भर्तियां विधिवत गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित पद्धतियों का विधिवत अनुसरण करते हुए ही की जाएं ।
2. विश्वविद्यालय शिक्षण स्थितियों का कुछ सीमा तक आंतरिक पुनर्समायोजन कर सकता है, जहां कहीं समग्र स्वीकृत संख्या बल के अंतर्गत यह आवश्यक हो ।
3. विश्वविद्यालय अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रति नामांकन हेतु अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर समान प्रवेश जांच परीक्षा आयोजित करने की संभावना की तलाश कर सकता है।
4. गंगटोक में भूमि क्रय के मामले में विश्वविद्यालय आई एम आर, कोलकाता से कोई भूगर्भशास्त्री नामित करने पर विचार कर सकता है ।
5. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम डिजाइनिंग में संलग्न विशेषज्ञों की सूची को चयन समितियों आदि के प्रति नामित करने के लिए अंगीकृत कर सकता है।

हस्ताक्षरित/-
(पी वी रवि)
वित्त अधिकारी एवं
पदेन सचिव, वित्त समिति